हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

संख्या 106/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप–धारा (1), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5) और धारा 16 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

(i) सारणी में, , –

(क) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में, मद (xii) में, ''और (Xi)'' शब्द, कोष्ठक तथा संख्या के स्थान पर, '',(xi) और नीचे दी गई क्रम संख्या 38'' चिह्न, संख्या, कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 7 के सामने, खाना (3) में, मद (i) में, व्याख्या 1 में, "स्कूल, कालेज" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के सामने,–

(क) खाना (3) में मद (iv) के बाद और खाना (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: –

(3)	(4)	(5)
"(ivक) हवाई यात्रा से, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या चार्टर आपरेशन, जो कि किसी विशेष संगठन के द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबंध में लगाए गए हों, के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे यात्रियों के पास सामान हो या नहीं ।	2.5	परंतु ऐसी सेवा के प्रदाय करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर के प्रत्यय नही लिए गए हैं। [कृपया व्याख्या के संदर्भ में पैरा 4 के खण्ड (iv) को देखें]";

(ख) खाना (3) में, मद (vii) में कोष्ठक और अंक "(iv),", के पश्चात् "(ivक)," कोष्ठक, संख्या और अंक्षर को रखा जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 15 के सामने खाना (3) में मद (vi) और खाना (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: –

(3)	(4)	(5)
"(vi) गुड्स कैरिज के तीसरे पक्ष का बीमा संबंधी सेवा ।	6	–
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), और (vi) से अन्यथा वित्तीय और अन्य संबंधित सेवाएं ।	9	–'';

(ङ) क्रम संख्या 17 के सामने खाना (3) में, मद (viii) और खाना (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: –

(3)	(4)	(5)
"(viiक) वस्तुओं को पट्टे पर या किराए पर देना	राज्य कर की दर वही होगी जो कि इसी तरह की वस्तुओं जिसमें माल के हक का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लगता हो ।	–
(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viiक) से भिन्न पट्टे पर और पट्टे पर दी जाने वाली सेवाएं चाहे आपरेटर साथ में हो या नहीं ।	9	–'';

(च) क्रम संख्या 21 के सामने, खाना (3) में, मद (ii) में, कोष्ठक, अंक और शब्द "पूर्वोक्त (i)" के पश्चात्, ''और नीचे दी गई क्रम संख्या 38'' शब्द और अंक जोडे जाएंगे;

(छ) क्रम संख्या 25 के सामने, खाना (3) में, मद (ii) में, "उपर्युक्त (i)" कोष्ठक, अंक और शब्द के पश्चात्, ''और नीचे दी गई क्रम संख्या 38'' शब्द और अंक जोडे जाएंगे;

(ज) क्रम संख्या 34 के सामने, –

(क) खाना (3) में, मद (ii) के सामने, खाना (4) की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) खाना (3) में, मद (ii) और खाना (3), (4) और (5) में दी गई और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: –

(3)	(4)	(5)
"(iiक) किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्मस के प्रदर्शन में प्रवेश के रूप में दी	9	–'';

जाने वाली सेवा, जिसमें प्रवेश टिकट का मूल्य एक सौ रुपए से अधिक हो		

(ग) मद (iiiक), में "सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(घ) खाना (3) में, मद (vi) में, "(ii)," कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "(iiक)" कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(झ) खाना (1) की क्रम संख्या 37 और खाना (2), (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:–

''38.	9954 या 9983 या 9987	निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग या संस्थापना या अन्य तकनीकी सेवाओं के रूप में दी गई सेवा, जो कि निम्नलिखित की स्थापना करने के बारे में दी गई हो – (क) बायो गैस प्लांट (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपक्रम (ग) सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणाली (घ) विंड मिल्स, विंड ऑपरेटेड इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर (डब्ल्यू ओ ई जी) (ङ) अपशिष्ट से ऊर्जा संयत्रों/यंत्र	9	–'':

		(च) समुद्री तरंगें, ज्वारीय तरंग ऊर्जा संयंत्र/यंत्र व्याख्या.– इस प्रविष्टि को हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिंनाक 30 जून, 2017 की अनुसूची I की क्रमसंख्या 234 के साथ पढ़ा जाएगा।		

(ii) पैराग्राफ 4 में, खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्: –

"(xi) "विशेष संगठन" से अभिप्राय होगा , –

(i) कुमायूं मंडल विकास निगम लि., उत्तराखंड सरकार का प्रतिष्ठान; या

(ii) 'समिति' या 'राज्य समिति', हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 2 में यथा परिभाषित, से है ।

(xii) "गुड्स कैरिज" का अभिप्राय वही होगा जो इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 2 के खंड (14) में दिया गया है।" ।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 31st December, 2018

No.106/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub section (1) of section 11, sub section (5) of section 15 and sub section (1) of section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

I. In the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), in item (xii), after the brackets, figures and word "(xi) above", the following words and number shall be added, namely:-
"and serial number 38 below";

(b) against serial number 7, in column (3), in item (i), in Explanation 1, the words and sign "school, college" shall be omitted;

(c) against serial number 8, -

(A) after item (iv), in column (3) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following item shall be inserted , namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iva) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, by non-scheduled air transport service or charter operations, engaged by specified organisations in respect of religious pilgrimage facilitated by the Government of India, under bilateral arrangement.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation]";

(B) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures "(iv),", the brackets and figures "(iva)," shall be inserted;

(d) against serial number 15, for item (vi) in column (3) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following items shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Service of third party insurance of “goods carriage”	6	-
(vii) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), and (vi) above.	9	-”;

(e) against serial number 17, after item (vii) in column (3) and the entries there against in columns (3), (4) and (5), the following items shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(viia) Leasing or renting of goods	Same rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viia) above	9	-”;

(f) against serial number 21, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word “(i) above”, the words and number “and serial number 38 below” shall be added;

(g) against serial number 25, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word “(i) above”, the words and number “and serial number 38 below” shall be added;

(h) against serial number 34,-

(A) against item (ii) in column (3), for the existing entry in column (4), the entry “6” shall be substituted;

(B) after item (ii) in column (3) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iia) Services by way of admission to exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is above one hundred rupees.	9	-”;

(C) in item (iiia), the words “exhibition of cinematograph films,” shall be omitted;

(D) in column (3), in item (vi), after the brackets and figures “(ii),”, the brackets and figures “(iia),” shall be inserted;

(i) after serial number 37, in column (1) and the entries thereagainst in column (2), (3), (4) and (5), the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“38.	9954 or 9983 or 9987	Service by way of construction or engineering or installation or other technical services, provided in relation of setting up of following, -	9	-”;

		(a) Bio-gas plant (b) Solar power based devices (c) Solar power generating system (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG) (e) Waste to energy plants / devices (f) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants Explanation.- This entry shall be read in conjunction with serial number 234 of schedule I of Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017.		

II. In paragraph 4 relating to Explanation, after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xi) "specified organisation" shall mean, -

(a) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or

(b) 'Committee' or 'State Committee' as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (Central Act 35 of 2002).

(xii) "goods carriage" has the same meaning as assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988).".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department